रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277664
CG-DL-E-04112026-277664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5726] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5726] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5958(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3749(E) तारीख 10/07/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में NH116A के कि.मी. 0 से कि.मी.56.500 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06/08/2026 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" और 06/08/2026 को "दैनिक स्टेटमेंट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और चूँकि सक्षम प्राधिकारी को उक्त अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर धारा 3-C के अंतर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पजश्चमबंगाल राज्य के पजश्चम मेदिनीपुर जिले में NH116A (खड़गपुर-बधगमान-मोरेग्राम आर्थगक मागग का खंड) के दक.मी. 0.000 से दक.मी.56.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			**जिले का नाम: पश्चिम मेदिनीपुर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल **(हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: केशपुर					
गांव का नाम: चकज्योति (जे.एल. नं- 487)					
1	38/222	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.003622	तुलसी पाडा पालमल
2	38/222	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0108656	भरत चौधरी
तालुक का नाम: चन्द्रकोना -II					
गांव का नाम: अगरापाड़ा (जे.एल. नं- 249)					
3	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.033711	प्रदीप नायक
4	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0337515	प्रबीर नायक
5	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0606637	तनय कुमार खान
6	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0449616	प्रशांत नायक
7	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0449616	श्रीमान्त नायक
8	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0449616	जयंत नायक
9	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0425334	चंद्रकांता बारदोलोई
10	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0367867	तपस माइती
11	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0245245	सुशांत नायक
12	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0152975	नंदिता नायक
13	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0056657	प्रशांत नायक
14	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0056253	जयंत नायक
15	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0056253	श्रीमान्त नायक
16	956	निजी (जल)	एग्रीकल्चर	0.0056253	अनीता मंडल
			Total	**0.4191823**	

[फा. सं. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5958(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3749(E) Dated:10/07/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH116A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.500 in the district of Paschim Medinipur in the state of WEST BENGAL

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" dated 06/08/2026 , and "Dainik Statesman" dated 06/08/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received no objection filed under Section 3C of the said Act, within stipulated period of time specified in the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH116A (Kharagpur-Bardhaman-Moregram section of Economic Corridor) in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.500 in the district of Paschim Medinipur in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			**District: Paschim Medinipur**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Keshpur					
Village: Chakjyoti (J.L No. 487)					
1	38/222	Private (Jal)	Agriculture	0.003622	Tulsi Pada Palmal
2	38/222	Private (Jal)	Agriculture	0.0108656	Bharat Chowdhury
Taluk: Chandrakona-II					
Village: Agrapara (J.L No. 249)					
3	956	Private (Jal)	Agriculture	0.033711	Pradip Nayak
4	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0337515	Prabir Nayak
5	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0606637	Tanay Kumar Khan
6	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0449616	Prasanta Nayak
7	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0449616	Srimanta Nayak
8	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0449616	Jayanta Nayak
9	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0425334	Chandrakanta Bardoloi
10	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0367867	Tapas Maity
11	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0245245	Susanta Nayak
12	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0152975	Nandita Nayak
13	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0056657	Prasanta Nayak
14	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0056253	Jayanta Nayak
15	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0056253	Srimanta Nayak
16	956	Private (Jal)	Agriculture	0.0056253	Anita Mondal
			Total	**0.4191823**	

[F. No. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA